आईसीएमआर-राष्ट्रीय मलेरिया अनुसंधान संस्थान

सैक्टर-8, द्वारका, नई दिल्ली-110077

राजभाषा ई-पत्रिका

अर्द्धवार्षिक(जुलाई-दिसम्बर 2021)

अंक-1, वर्ष–2021

राजभाषा ई-पत्रिका

अंक-1, वर्ष – 2021

संरक्षक
डॉ. अमित प्रकाश शर्मा
निदेशक

संपादक
डॉ. वंदना शर्मा
सहायक निदेशक (राजभाषा)

संपादक मंडल
प्रशासनिक अधिकारी
श्रीमती मीनाक्षी भसीन
श्री रघुबर दत्त

सहयोजित सदस्य
श्री अखिलेश्वर शारदा

विषय सूची पृष्ठ सं.

1. संरक्षक की कलम से 2
2. राजभाषा अधिनियम/नियम की जानकारी 3
3. पुरस्कृत निबंध 11
4. कर्मचारियों का पन्ना 16
5. संस्थान की गतिविधियां
   क) हिन्दी पखवाड़ा 19
   ख) सतर्कता जागरुकता सप्ताह 24
   ग) संस्थान का वार्षिकोत्सव 25
6. सेवा-निवृत्त एवं नई नियुक्तियां 28

राजभाषा ई-पत्रिका में प्रकाशित लेखों से पत्रिका के उल्लेखित सदस्यों की सहमति/असहमति होना अनिवार्य नही हैं, इसके लिए लेखक स्वयं जिम्मेदारहैं।

संरक्षक की कलम से :-

मुझे बेहद खुशी है कि हम एनआईएमआर की राजभाषा ई-पत्रिका का प्रथम ई-अंक जुलाई-दिसम्बर 2021 आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहे हैं। राजभाषा ई-पत्रिका के प्रकाशन का मुख्य उद्देश्य संस्थान के सभी कर्मियों में राजभाषा के प्रति उत्साहपूर्ण वातावरण तैयार करना है क्योंकि संस्थान में राजभाषा हिन्दी का प्रयोग प्रशासनिक एवं विज्ञानीय स्तर पर किया जा रहा है अर्थात् प्रशासन वर्ग के लगभग सभी अधिकारी/कर्मचारी राजभाषा हिन्दी में कार्य कर रहे हैं और वैज्ञानिकों के सूचित सहमति प्रपत्र, प्रशिक्षण सामग्री आदि हिन्दी में प्रकाशित किए जाते हैं ताकि जन-सामान्य द्वारा भी इसे भली-भांति जाना एवं समझा जा सके। इसका प्रमाण यह है कि नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास) द्वारा संस्थान की छः माही रिपोर्ट को लगातार दो बार उत्कृष्ट श्रेणी में रखा गया है। ई-पत्रिका के प्रकाशन से निश्चित रुप से सभी कर्मी राजभाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने की दिशा में अग्रसर रहेंगे

पत्रिका के इस अंक में हम राजभाषा नियम, अधिनियम की जानकारी अंक-दर-अंक इस आशय से प्रस्तुत कर रहे हैं ताकि संस्थान के सभी कर्मी सहज, सरल भाषा में प्रस्तुत नियमों को जान एवं समझ सकें। इस अंक में हमने राजभाषा नियम 1976 के 12 उपनियमों के बारे में जानकारी तो दी है किन्तु इससे पूर्व सहज, सरल भाषा में इसका सारांश भी प्रस्तुत किया है। इसके साथ ही कर्मचारियों का कोना स्तंभ के अंतर्गत संस्थान एवं क्षेत्रीय इकाईयों के कर्मियों की रचनाएं या किसी एक वैज्ञानिक का साक्षात्कार प्रस्तुत करेंगे। यहीं नहीं, संस्थान की गतिविधियों के अंतर्गत हिन्दी दिवस के अवसर पर आयोजित निबंध प्रतियोगिताओं के पुरस्कृत निबंध (कर्मचारी एवं अधिकारी), संस्थान का वार्षिकोत्सव को भी ई-पत्रिका में स्थान दिया गया है। ई-पत्रिका के अंत में इस छः माही में संस्थान से सेवा-निवृत्त एवं नव-नियुक्त कर्मियों को शुभकामनाएं देते हुए उनकी जानकारी प्रस्तुत की है।

आशा है कि राजभाषा ई-पत्रिका के इस अंक में दी गई जानकारियां सभी के लिए उपयोगी सिद्ध होंगी। इस संबंध में आपकी प्रतिक्रियाएं एवं सुझाव सादर आमंत्रित हैं। आपके द्वारा भेजे गए विचारों, सुझावों के लिए हम सदा आपके आभारी रहेंगे। आपके सुझाव एवं प्रतिक्रियाएं हमारे लिए प्रेरणा का कार्य करेंगी और आपके व हमारे बीच विचार-संप्रेषण का माध्यम बनेंगी।

अमित शर्मा

डॉ. अमित प्रकाश शर्मा

राजभाषा अधिनियम/नियम की जानकारी

राजभाषा नियम, 1976
राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग)
नियम, 1976
(यथा संशोधित, 1987, 2007 तथा 2011)

पत्रिका में भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन राजभाषा विभाग द्वारा जारी राजभाषा अधिनियमों, नियमों की जानकारी ना देना पत्रिका के साथ अन्याय होगा। वस्तुत: कार्यालय के सभी कर्मियों या पत्रिका को पढ़ने वाले प्रत्येक कर्मचारी को निश्चित रुप से नियमों की जानकारी प्राप्त करने की जिज्ञासा रहती है। इसी के तहत इस ई-पत्रिका के प्रत्येक अंक में हम नियमावली के एक-एक नियम को देने का प्रयास तो करेंगे, साथ ही उसे कुछ हद तक सहज-सरल भाषा में भी प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे। ई-पत्रिका के प्रथम अंक में हम राजभाषा नियम 1976 को प्रस्तुत कर रहे हैं।

राजभाषा अधिनियम 1976 के अंतर्गत हिन्दी बोले जाने और लिखे जाने की प्रधानता के आधार पर संपूर्ण भारत को तीन क्षेत्रों में बांटा गया है।

'क' क्षेत्र	'ख' क्षेत्र	'ग' क्षेत्र
बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्य तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र	गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब राज्य और चंडीगढ़, दमण और दीव तथा दादरा और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र	'क्षेत्र ग' में खंड (क) और (ख) में निर्दिष्ट राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से भिन्न राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र जैसे – तमिलनाडु, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, केरल, असम, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, गोवा, अरुणांचल प्रदेश, मणिपुर, सिक्किम, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, तेलंगाना,

यहां यह बताना प्रासंगिक होगा कि हमारा कार्यालय आईसीएमआर-राष्ट्रीय मलेरिया अनुसंधान संस्थान क्षेत्र 'क' के अंतर्गत आता है। वहीं संस्थान की क्षेत्रीय इकाईयां रायपुर (छत्तीसगढ़), रांची (झारखंड), हरिद्वार (उत्तराखंड) 'क' क्षेत्र में स्थित हैं और 'ख' क्षेत्र में नडियाद (गुजरात) क्षेत्रीय इकाई और 'ग' क्षेत्र में गुवाहाटी (असम), चैन्नई (तमिलनाडु), बंगलुरु (कर्नाटक) तथा गोवा क्षेत्रीय इकाईयां स्थित है।

वस्तुत: राजभाषा नियम 1976 को 12 उपनियमों में बांटा गया है, जिसमें मुख्यत: केन्द्र सरकार के अधीन कार्यालयों में पत्राचार के साथ टिप्पणी, आवेदन, अभ्यावेदन एवं अन्य दस्तावेजों के बारे में सहज-सरल भाषा में बताया गया है। अब चूंकि हमने उपर्युक्त सारणी में 'क' 'ख' तथा 'ग' क्षेत्र की जानकारी प्राप्त कर ली है इसलिए होगी कि संस्थान एवं क्षेत्रीय इकाईयों के बीच एवं उनके द्वारा पत्राचार किस भाषा में होना आवश्यक है।

केन्द्र सरकार के कार्यालय से 'क', 'ख', 'ग' क्षेत्र में भेजे जाने वाले पत्र		
केन्द्र सरकार के कार्यालय से 'क' क्षेत्र में स्थित राज्य, संघ राज्य क्षेत्र को भेजे जाने वाले पत्र हिन्दी में ही होंगे। यदि अंग्रेजी में भेजे जाते हैं तो उनके साथ उसका हिन्दी अनुवाद भेजा जाएगा।	केन्द्र सरकार के कार्यालय से 'ख' क्षेत्र में स्थित राज्य, संघ राज्य क्षेत्र के किसी कार्यालय (केन्द्रीय सरकार का कार्यालय न हो) को पत्रादि हिन्दी में होंगे। यदि उनमें से कोई पत्र अंग्रेजी में भेजा जाता है तो उसका हिन्दी अनुवाद भी भेजा जाएगा।	केन्द्रीय सरकार के कार्यालय से क्षेत्र 'ग' में किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र को ऐसे राज्य में किसी कार्यालय (जो केन्द्रीय सरकार का कार्यालय न हो) या व्यक्ति को पत्रादि अंग्रेजी में होंगे।

केन्द्र सरकार के कार्यालयों के बीच पत्रादि	
क्षेत्र 'क' में स्थित कार्यालयों के बीच पत्रादि	क्षेत्र 'क' और 'ख' या 'ग' में स्थित केन्द्र सरकार के कार्यालयों के बीच पत्रादि
क) केन्द्रीय सरकार के किसी एक मंत्रालय या विभाग और किसी दूसरे मंत्रालय या विभाग के बीच पत्रादि हिन्दी या अंग्रेजी में हो सकते हैं। ख) केन्द्रीय सरकार के एक मंत्रालय या विभाग और क्षेत्र 'क' में स्थित संलग्न या अधीनस्थ कार्यालयों के बीच पत्रादि हिन्दी में होंगे और ऐसे अनुपात में होंगे जो केन्द्रीय सरकार, ऐसे कार्यालयों में हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों की संख्या, हिन्दी में पत्रादि भेजने की सुविधाओं और उससे संबंधित आनुषंगिक बातों को ध्यान में रखते हुए, समय-समय पर अवधारित करें। ग) क्षेत्र 'क' में स्थित केन्द्रीय सरकार के ऐसे कार्यालयों के बीच, जो खण्ड (क) या खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट कार्यालयों से भिन्न हैं, पत्रादि हिन्दी में होंगे।	1) क्षेत्र 'क' में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों और क्षेत्र 'ख' या 'ग' में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के बीच पत्रादि हिन्दी या अंग्रेजी में हो सकते हैं। 2) क्षेत्र 'ख' या 'ग' में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के बीच पत्रादि हिन्दी या अंग्रेजी में हो सकते हैं। परन्तु ये पत्रादि हिन्दी में ऐसे अनुपात में होंगे जो केन्द्रीय सरकार ऐसे कार्यालयों में हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों की संख्या, हिन्दी में पत्रादि भेजने की सुविधाओं और उससे आनुषंगिक बातों को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर अवधारित करें।

इसके अतिरिक्त नियम में यह भी उल्लेख है कि हिन्दी में प्राप्त पत्र के उत्तर हिन्दी में दिए जाने के साथ ही दस्तावेज (14 प्रकार के दस्तावेज) जैसे ज्ञापन, संकल्प, साधारण आदेश, अनुज्ञप्तियां, अनुज्ञा पत्र, सूचना, निविदा प्रारुप, अनुदेश, परिपत्र, नियम, अधिसूचनाएं, प्रशासनिक एवं अन्य प्रतिवेदन, प्रैस विज्ञप्तियां एवं संसदीय कागज अनिवार्य रुप से हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में होना चाहिए, जिसकी जिम्मेदारी हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी की होगी। यही नहीं हिन्दी में हस्ताक्षरित या हिन्दी में आवेदन, अभ्यावेदन का उत्तर भी अनिवार्य रुप से हिन्दी में दिए जाने की बात कही गई है। जहां तक टिप्पणियों का सवाल है यह अंग्रेजी या हिन्दी में हो तो सकती हैं किन्तु कोई भी अधिकारी दस्तावेज के अनुवाद की मांग तब तक नहीं कर सकता जब तक कि वह तकनीकी प्रकृति का हो।

दस्तावेज के तकनीकी होने का निर्णय संबंधित कार्यालय प्रधान द्वारा किया जाएगा और अब नियम की शब्दश: या ज्यों का त्यों जानकारी भी ली जानी आवश्यक है।

सा.का.नि. 1052 – राजभाषा अधिनियम, 1963 (1963 का 19) की धारा 3 की उपधारा (4) के साथ पठित धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ :

क) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम 1976 हैं।

ख) इनका विस्तार तमिलनाडु राज्य के सिवाय सम्पूर्ण भारत पर है।

ग) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं – इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :-

क) 'अधिनियम' से राजभाषा अधिनियम, 1963 (1963 का 19) अभिप्रेत है,

ख) केन्द्रीय सरकार के कार्यालय' के अन्तर्गत निम्नलिखित भी हैं, अर्थात :-

ग) केन्द्रीय सरकार का कोई मंत्रालय, विभाग या कार्यालय :-

घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किसी भी आयोग, समिति या अधिकरण का कोई कार्यालय, और,

ङ) केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रण के अधीन किसी निगम या कम्पनी का कोई कार्यालय

च) 'कर्मचारी' से केन्द्रीय सरकार के कार्यालय में नियोजित कोई व्यक्ति अभिप्रेत है,

छ) 'अधिसूचित कार्यालय' से नियम 10 के उपनियम (4) के अधीन अधिसूचित कार्यालय, अभिप्रेत है,

ज) 'हिन्दी में प्रवीणता' से नियम 9 में वर्णित प्रवीणता अभिप्रेत है,

झ) 'क्षेत्र क' से बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्य तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है,

ञ) 'क्षेत्र ख' से गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब राज्य और चंडीगढ़, दमण और दीव तथा दादरा और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र अभिप्रेत हैं,

ट) 'क्षेत्र ग' से खंड (च) और (छ) में निर्दिष्ट राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से भिन्न राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र अभिप्रेत हैं,

ठ) हिन्दी का 'कार्यसाधक ज्ञान' से नियम 10 में वर्णित कार्यसाधक ज्ञान अभिप्रेत है।

3. राज्यों आदि और केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों से भिन्न कार्यालयों के साथ पत्रादि –

1. केन्द्रीय सरकार के कार्यालय से क्षेत्र 'क' में किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र को या ऐसे राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में किसी कार्यालय (जो केन्द्रीय सरकार का कार्यालय न हो) या व्यक्ति को पत्रादि असाधारण दशाओं को छोड़कर हिन्दी में होंगे और यदि उनमें से किसी को कोई पत्रादि अंग्रेजी में भेजे जाते है तो उनके साथ उनका हिन्दी अनुवाद भी भेजा जाएगा।

2. केन्द्रीय सरकार के कार्यालय से ---

   a. क्षेत्र 'ख' में किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र को या ऐसे राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में किसी कार्यालय (जो केन्द्रीय सरकार का कार्यालय न हो) को पत्रादि सामान्यतया हिन्दी में होंगे और यदि इनमें से किसी को कोई पत्रादि अंग्रेजी में भेजे जाते हैं तो उनके साथ उनका हिन्दी अनुवाद भी भेजा जाएगा: परन्तु यदि कोई ऐसा राज्य या संघ राज्य क्षेत्र यह चाहता है कि किसी विशिष्ट वर्ग या प्रवर्ग के पत्रादि या उसके किसी कार्यालय के लिए आशयित पत्रादि संबद्ध राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि तक अंग्रेजी या हिन्दी में भेजे जाएं और उसके साथ दूसरी भाषा में उसका अनुवाद भी भेजा जाए तो ऐसे पत्रादि उसी रीति से भेजे जाएंगे।

   b. क्षेत्र 'ख' के किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को पत्रादि हिन्दी या अंग्रेजी में भेजे जा सकते हैं।

3. केन्द्रीय सरकार के कार्यालय से क्षेत्र 'ग' में किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र को ऐसे राज्य में किसी कार्यालय (जो केन्द्रीय सरकार का कार्यालय न हो) या व्यक्ति को पत्रादि अंग्रेजी में होंगे।

4. उप नियम (1) और (2) में किसी बात के होते हुए भी, क्षेत्र 'ग' में केन्द्रीय सरकार के कार्यालय से क्षेत्र 'क' या 'ख' में किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र को या ऐसे राज्य में किसी कार्यालय (जो केन्द्रीय सरकार का कार्यालय न हो) या व्यक्ति को पत्रादि हिन्दी या अंग्रेजी में हो सकते हैं। परन्तु हिन्दी में पत्रादि ऐसे अनुपात में होंगे जो केन्द्रीय सरकार ऐसे कार्यालय में हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों की संख्या, हिन्दी में पत्रादि भेजने की सुविधाओं और उससे आनुषंगिक बातों को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर अवधारित करें।

4. केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के बीच पत्रादि -

क) केन्द्रीय सरकार के किसी एक मंत्रालय या विभाग और किसी दूसरे मंत्रालय या विभाग के बीच पत्रादि हिन्दी या अंग्रेजी में हो सकते हैं।

ख) केन्द्रीय सरकार के एक मंत्रालय या विभाग और क्षेत्र 'क' में स्थित संलग्न या अधीनस्थ कार्यालयों के बीच पत्रादि हिन्दी में होंगे और ऐसे अनुपात में होंगे जो केन्द्रीय सरकार, ऐसे कार्यालयों में हिन्दी का

कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों की संख्या, हिन्दी में पत्रादि भेजने की सुविधाओं और उससे संबंधित आनुषंगिक बातों को ध्यान में रखते हुए, समय-समय पर अवधारित करें।

ग) क्षेत्र 'क' में स्थित केन्द्रीय सरकार के ऐसे कार्यालयों के बीच, जो खण्ड (क) या खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट कार्यालयों से भिन्न हैं, पत्रादि हिन्दी में होंगे।

घ) क्षेत्र 'क' में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों और क्षेत्र 'ख' या 'ग' में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के बीच पत्रादि हिन्दी या अंग्रेजी में हो सकते हैं।

परन्तु ये पत्रादि हिन्दी में ऐसे अनुपात में होंगे जो केन्द्रीय सरकार ऐसे कार्यालयों में हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों की संख्या, हिन्दी में पत्रादि भेजने की सुविधाओं और उससे आनुषंगिक बातों को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर अवधारित करें।

ङ) क्षेत्र 'ख' या 'ग' में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के बीच पत्रादि हिन्दी या अंग्रेजी में हो सकते हैं।

परन्तु ये पत्रादि हिन्दी में ऐसे अनुपात में होंगे जो केन्द्रीय सरकार ऐसे कार्यालयों में हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों की संख्या, हिन्दी में पत्रादि भेजने की सुविधाओं और उससे आनुषंगिक बातों को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर अवधारित करें।

परन्तु जहां ऐसे पत्रादि –

i. क्षेत्र 'क' या क्षेत्र 'ख' किसी कार्यालय को संबोधित है वहां यदि आवश्यक हो तो, उनका दूसरी भाषा में अनुवाद, पत्रादि प्राप्त करने के स्थान पर किया जाएगा।
ii. क्षेत्र 'ग' में किसी कार्यालय को संबोधित है वहां, उनका दूसरी भाषा में अनुवाद, उनके साथ भेजा जाएगा।

परन्तु यह और कि यदि कोई पत्रादि किसी अधिसूचित कार्यालय को संबोधित है तो दूसरी भाषा में ऐसा अनुवाद उपलब्ध कराने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

5. हिन्दी में प्राप्त पत्रादि के उत्तर ---

नियम 3 और नियम 4 में किसी बात के होते हुए भी, हिन्दी में पत्रादि के उत्तर केन्द्रीय सरकार के कार्यालय से हिन्दी में दिए जाएंगे।

6. हिन्दी और अंग्रेजी दोनों का प्रयोग –

अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट सभी दस्तावेजों के लिए हिन्दी और अंग्रेजी दोनों का प्रयोग किया जाएगा और ऐसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्तियों का यह उत्तरदायित्व होगा कि वे यह

सुनिश्चित कर लें कि ऐसे दस्तावेजें हिन्दी और अंग्रेजी दोनों ही में तैयार की जाती हैं, निष्पादित की जाती हैं और जारी की जाती हैं।

7. आवेदन, अभ्यावेदन आदि –

1. कोई कर्मचारी आवेदन, अपील या अभ्यावेदन हिन्दी या अंग्रेजी में कर सकता है।

2. जब उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट कोई आवेदन, अपील या अभ्यावेदन हिन्दी में किया गया हो या उस पर हिन्दी में हस्ताक्षर किए गए हों, तब उसका उत्तर हिन्दी में दिया जाएगा।

3. यदि कोई कर्मचारी यह चाहता है कि सेवा संबंधी विषयों (जिनके अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाहियां भी हैं) से संबंधित कोई आदेश या सूचना, जिसका कर्मचारी पर तामिल किया जाना अपेक्षित है, यथास्थिति, हिन्दी या अंग्रेजी में होनी चाहिए तो वह उसे असम्यक विलम्ब के बिना उसी भाषा में दी जाएगी।

8. केन्दीय सरकार के कार्यालयों में टिप्पणों का लिखा जाना –

1. कोई कर्मचारी किसी फाइल पर टिप्पण या कार्यवृत्त हिन्दी या अंग्रेजी में लिख सकता है और उससे यह अपेक्षा नहीं की जाएगी कि वह उसका अनुवाद दूसरी भाषा में प्रस्तुत करें।

2. केन्द्रीय सरकार या कोई भी कर्मचारी, जो हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखता है, हिन्दी में किसी दस्तावेज के अंग्रेजी अनुवाद की मांग तभी कर सकता है, जब वह दस्तावेज विधिक या तकनीकी प्रकृति का है, अन्यथा नहीं।

3. यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई विशिष्ट दस्तावेज विधिक या तकनीकी प्रकृति का है या नहीं तो विभाग या कार्यालय का प्रधान उसका विनिश्चय करेगा।

4. उपनियम (1) में किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार, आदेश द्वारा ऐसे अधिसूचित कार्यालयों को विनिर्दिष्ट कर सकती है जहां ऐसे कर्मचारियों द्वारा, जिन्हें हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त हैं, टिप्पण, प्रारुपण और ऐसे अन्य शासकीय प्रयोजनों के लिए, जो आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं, केवल हिन्दी का प्रयोग किया जाएगा।

9. हिन्दी में प्रवीणता—

यदि किसी कर्मचारी ने –

क) मैट्रिक परीक्षा या उसकी समतुल्य या उससे उच्चतर कोई परीक्षा हिन्दी के माध्यम से उत्तीर्ण कर ली है, या

ख) स्नातक परीक्षा में अथवा स्नातक परीक्षा की समतुल्य या उससे उच्चतर किसी अन्य परीक्षा में हिन्दी को एक वैकल्पिक विषय के रुप में लिया हो, या

ग) यदि वह इन नियमों से उपाबद्ध प्ररुप में यह घोषणा करता है कि उसे हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त है, तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त कर ली है।

10. हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान –

1. क). यदि किसी कर्मचारी ने –

i. मैट्रिक परीक्षा या उसकी समतुल्य या उससे उच्चतर परीक्षा हिन्दी विषय के साथ उत्तीर्ण कर ली है, या

ii. केन्द्रीय सरकार की हिन्दी परीक्षा योजना के अंतर्गत आयोजित प्राज्ञ परीक्षा या यदि उस सरकार द्वारा किसी विशिष्ट प्रवर्ग के पदों के संबंध में उस योजना के अन्तर्गत कोई निम्नतर परीक्षा विनिर्दिष्ट है, वह परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, या

iii. केन्द्रीय सरकार द्वारा उस निमित्त विनिर्दिष्ट कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हैं, या

ख). यदि वह इन नियमों से उपाबद्ध प्ररुप में यह घोषणा करता है कि उसने ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लिया है,तो उसके बारे में यह समझा जाए कि उसने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है।

2. यदि केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय में कार्य करने वाले कर्मचारियों में से अस्सी प्रतिशत ने हिन्दी का ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लिया है तो उस कार्यालय के कर्मचारियों के बारे में सामान्यतया यह समझा जाएगा कि उन्होंने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है।

3. केन्द्रीय सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट कोई अधिकारी यह अवधारित कर सकता है कि केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय के कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है या नहीं।

4. केन्द्रीय सरकार के जिन कार्यालयों में कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है उन कार्यालयों के नाम राजपत्र में अधिसूचित किए जाएंगे,

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार की राय है कि किसी अधिसूचित कार्यालय में काम करने वाले और हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले कर्मचारियों का प्रतिशत किसी तारीख में से उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट प्रतिशत से कम हो गया है, तो वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा घोषित कर सकती है कि उक्त कार्यालय उस तारीख से अधिसूचित कार्यालय नहीं रह जाएगा।

11. मैनुअल, संहिताएं, प्रक्रिया संबंधी अन्य साहित्य, लेखन सामग्री आदि –

1. केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों से संबंधित सभी मैनुअल, संहिताएं और प्रक्रिया संबंधी अन्य साहित्य, हिन्दी और अंग्रेजी में द्विभाषिक रुप में यथास्थिति, मुद्रित या साइक्लोस्टाइल किया जाएगा और प्रकाशित किया जाएगा।

2. केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय में प्रयोग किए जाने वाले रजिस्टरों के प्ररुप और शीर्षक हिन्दी और अंग्रेजी में होंगे।

3. केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय में प्रयोग के लिए सभी नामपट्ट, सूचना पट्ट, पत्रशीर्ष और लिफाफों पर उत्कीर्ण लेख तथा लेखन सामग्री की अन्य मदें हिन्दी और अंग्रेजी में लिखी जाएंगी, मुद्रित या उत्कीर्ण होंगी,

   परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार ऐसा करना आवश्यक समझती है तो वह साधारण या विशेष आदेश द्वारा केन्द्रीय सरकार की किसी कार्यालय को इस नियम के सभी या किन्हीं उपबन्धों से छूट दे सकती है।

12. अनुपालन का दायित्व –

1. केन्द्रीय सरकार के प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह ---

   i. यह सुनिश्चित करें कि अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों और उपनियम (2) के अधीन जारी किए गए निदेशों का समुचित रुप में अनुपालन हो रहा है और

   ii. इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त और प्रभावकारी जांच के लिए उपाय करें।

2. केन्द्रीय सरकार अधिनियम और इन नियमों के उपबन्धों के सम्यक अनुपालन के लिए अपने कर्मचारियों और कार्यालयों को समय-समय पर आवश्यक निदेश जारी कर सकती है।

(भारत का राजपत्र, भाग-2, खंड-3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ)

∞

हिन्दी दिवस 2021 के अवसर पर आयोजित निबंध प्रतियोगिता (अधिकारी वर्ग) में प्रथम पुरस्कृत निबंध

विषय :- कोरोना महामारी के प्रभावों का आलोचनात्मक मूल्यांकन

(डॉ. अभिनव सिन्हा, वैज्ञानिक-ई)

सन् 2019 ने विदा लेते हुए मानवता को एक नयी बीमारी, जिसको हम कोविड-19 के नाम से जानते हैं, को दुर्भाग्यवश जन्म दे दिया। चीन के वुहान प्रांत से उत्पन्न इस बीमारी ने शीघ्र ही सम्पूर्ण विश्व की सीमाओं को अपनी सीमा में ले लिया और देखते ही देखते, दिसम्बर 2019 में जन्मी इस बीमारी ने मात्र 4 महीनों मे एक वैश्विक महामारी का रूप धारण कर लिया। किसी भी देश को सोचने-समझने का अवसर दिए बिना कोविड-19 ने अपना कुप्रभाव दिखाना प्रारम्भ कर दिया। कोई भी देश, फिर चाहे वो विश्व की महाशक्ति अमेरिका या फिर यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, रूस या फिर स्वयं कोविड-19 का जन्मदाता और अपने आप को एक नई वैश्विक महाशक्ति का स्वघोष करने वाला देश चीन, सब कोरोना के दुष्प्रभावों से अछूते नहीं रहे। सन 2020 के पूर्वार्द्ध से ही कोविड-19 ने पूरे विश्व को न केवल बीमार बना दिया अपितु एक अति अल्पकाल में मृत्यु का कारण भी बनकर सामने आया। अप्रैल 2020 के आते आते सम्पूर्ण विश्व एक ऐसी अभूतपूर्व, अनपेक्षित, अप्रत्याशित एवं आकस्मिक बीमारी का सामना कर रहा था जिसका न स्रोत पता था, न निदान, और न ही उपचार। निश्चित ही ऐसी महामारी का परिणाम अति भयंकर होना ही था।

कोरोना महामारी के दुष्प्रभाव – अपने 19 माह के छोटे से जीवन काल में ही कोरोना ने दुनिया को अति गंभीर क्षति अर्थात जान-माल के साथ मानसिक हानि से अवगत कराया है। कोरोना के कारण न केवल बीमारों की संख्या बढ़ी है बल्कि बार-बार बीमार होने वालों की संख्या भी बढ़ी है। इसके साथ ही, कोविड-19 से होने वाली मृत्यु दर भी डरा देने वाली है। इतने कम समय में इतनी अधिक मृत्यु शायद ही मनुष्य जाति ने पहले कभी देखी होगी। सबसे अधिक चिंता का कारण यह है कि कोविड से जो आयु वर्ग सबसे अधिक दुष्प्रभावित हुआ वो अपने एवं अपने परिवार के जीविकोपार्जन का माध्यम थे और अधिकांश परिवारों का एकमात्र आय का माध्यम। इसका परिणाम स्वाभाविक तौर पर ऐसे वर्ग की आय पर पड़ा जिससे कई परिवार गरीबी रेखा के नीचे धकेल दिए गए और जो कोविड-प्रभावित व्यक्ति मृत्यु को मात देकर जीवित भी बचे, वो पोस्ट-कोविड सिंड्रोम से प्रभावित हुए जिसमें मुख्यतः तंत्रिका तंत्र, फेफड़ें, एवं आंखों मे संक्रमण अधिकाधिक थे क्योंकि कोविड-19 एक विषाणु संक्रमण है जो अत्यधिक गति से संक्रमित व्यक्ति से असंक्रमित व्यक्तियों मे फैलता है। इस बीमारी से सबसे पहले और बड़ी मात्रा में जो पेशा प्रभावित हुआ उनमें प्रथम पंक्ति स्वास्थ्य-कर्मी (चिकित्सक, नर्स, एवं अन्य परा-चिकित्सकीय वर्ग), सफाईकर्मी, पुलिस, और सामाजिक व्यवस्था से जुड़ा वर्ग शामिल था। स्वास्थ्य कर्मियों के लगातार संक्रमित होने और स्वास्थ्य संबंधित सेवाओं के अनुपात-हीन उपयोग के कारण पूरे देश की स्वास्थ्य व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई। ऐसी विषम परिस्थितियों में सम्पूर्ण तालाबंदी के अलावा कोई और पर्याय शेष नहीं था। अतैव पूरे भारत में पहले आंशिक और बाद में सम्पूर्ण तालाबंदी की घोषणा कर दी

गयी। कोविड-19 के परोक्ष दुष्परिणामों मे तालाबन्दी के कारण हुए बड़े पैमाने पर हुआ प्रवास जिसमे मुख्यतः दैनिक वेतन पर रोज़गार करने वाले श्रमिक शामिल थे। अन्य व्यवसायियों को हुई आर्थिक हानि, बेरोज़गारी, इन सभी ने पहले से ही कमज़ोर अर्थव्यवस्था को और अधिक क्षति पहुचाई। इन स्वास्थ्य एवं सामाजिक दुष्परिणामों के अलावा मानसिक परेशानी जैसे अकेलापन और प्रारम्भिक दौर मे कोविड जांच करवाने का डर प्रमुख थे। कोविड-19 के कारण प्रभावित कुछ परिवारों को सामाजिक समर्थन भी समाप्त हो गया और कुछ बच्चे अनाथ भी हुए – ऐसी सामाजिक, पारिवारिक एवं वैयक्तिक क्षति को केवल आर्थिक सहायता के द्वारा सुधार पाना असंभव है।

लेकिन कहते हैं न कि हर मुसीबत अपने साथ नए अवसर भी लाती है। उसी प्रकार कोविड-19 महामारी के प्रभाव का एक नया पहलू मानवता को एक अविस्मरणीय अनुभव और अवसर के रूप मे प्राप्त हुआ जिसका लाभ, कुछ हद तक, इस अल्प समय में देखने को भी मिला। सबसे महत्वपूर्ण अवसर भारत में स्वास्थ्य सेवाओं की आधारभूत संरचना के मूल्यांकन एवं सुधार को मिला। इस अवसर को स्वास्थ्य विभाग ने स्वास्थ्य संबन्धित मूलभूत सेवा जैसे अस्पतालों में बिस्तर की उपलब्धता, रोगियों को आवश्यकता अनुसार ऑक्सीजन गैस का मिलना, कोविड-संबंधित आणविक- एवं विकिरण-आधारित निदान जैसे आरटी-पीसीआर और सीटी-स्कैन की सुविधा का दूर-दूर तक फैलाव और सबसे महत्वपूर्ण–कोविड के टीके का भारत में विकसित होने और एक महा-विशाल कोविड टीकाकरण अभियान का सफल होने के रूप में हाथों हाथ लिया। इसके अतिरिक्त, कोविड के कारण जन सामान्य ने स्वास्थ्य-संबंधित जागरूकता का एक नया युग देखा जिसके परिणाम स्वरूप हाथों की एवं सामान्य स्वच्छता और सफाई का न केवल ज्ञान बल्कि उपयोग अभूतपूर्व ढंग से बढ़ा। स्वास्थ्य बीमा का प्रचलन, जो भारत मे कोविड-पूर्व नगण्य था, वो भी अत्यधिक मात्रा मे सामने आया। एक और आयाम जहां कोविड ने प्रभाव छोड़ा वो है डिजिटल एवं ऑनलाइन माध्यमों का विभिन्न क्षेत्रों में सफल उपयोग जिनमें शिक्षा, व्यवसाय, रोज़गार, और दैनंदिन कार्य प्रमुख हैं। इन सबके अतिरिक्त, एक वैज्ञानिक होने के नाते, कोविड ने न केवल भारत में अपितु सम्पूर्ण विश्व में शोध की दशा और दिशा बदलने में अकल्पनीय योगदान दिया जिसके कारण बुनियादी शोध, नवीन खोज और अविष्कारक वैज्ञानिक मानसिकता की दिशा में अभूतपूर्व प्रगति देखने को मिल रही है।

और अंत में यह कहना अनुचित नहीं होगा कि कोरोना महामारी से उत्पन्न विपदा के दबाव में और कोविड-19 के जघन्य दुष्प्रभावों और दुष्परिणामों के बीच, भारत की इन सभी सफलताओं के कारण देश को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी एक विशेष जगह बना पाने और आत्मनिर्भर होने का गौरव प्राप्त हुआ।

∞

हिन्दी दिवस 2021 के अवसर पर आयोजित निबंध प्रतियोगिता (कर्मचारी वर्ग) में प्रथम पुरस्कृत निबंध

विषय : ऑन-लाइन कक्षाओं का बच्चों की शारीरिक एवं मानसिक स्थिति पर प्रभाव : एक ऑकलन।

(श्री शिशुपाल सिंह नेगी, प्रयोगशाला परिचर-1)

प्रस्तावना :- ऑन-लाइन कक्षा इंटरनेट के माध्यम से शिक्षक और विद्यार्थी के बीच आभासी रुप में चलने वाली एक शिक्षण प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत छात्र-छात्राएं अपने पाठ्यक्रम प्रशिक्षक के साथ संवाद कर सकते हैं। इस शिक्षण प्रक्रिया के प्रचलन का दाता लॉकडाउन को कहा जा सकता है। कोविड-19 के दौरान लॉकडाउन में शिक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए मोदी सरकार ने सभी स्कूलों को ऑनलाइन कक्षाएं चलाने का निर्देश दिया। ज्यादातर स्कूलों ने इसे शुरु भी किया और शिक्षक ऑनलाइन माध्यम से बच्चों की कक्षाएं ले रहे हैं।

ऑनलाइन कक्षा का मतलब : ऑनलाइन कक्षा ऐसी कक्षा होती है जिसमें अध्यापक इंटरनेट की मदद से स्क्रीन का इस्तेमाल करके बच्चों को पढ़ाता है। इस विधि द्वारा एक ही अध्यापक देश-दुनिया भर में किसी बच्चे को ऑनलाइन कक्षा के जरिए पढ़ा सकता है। इसके लिए, माइक्रोसाफ्ट टीम, जूम ऐप, यूट्यूब, टयुटोरियल और व्हाटसअप जैसी तकनीकी ऐप का इस्तेमाल किया जा रहा है जिससे नोट्स भी बच्चों तक पहुंचाए जा रहे हैं। ऑनलाइन शब्द का सीधा से अर्थ होता है कि अगर कोई कार्य इंटरनेट की मदद से किया जा रहा है तो वह ऑनलाइन कार्य कहलाता है। किसी भी ऑनलाइन कार्य को करने के लिए एक इलैक्ट्रॉनिक डिवाइस की आवश्यकता होती है जैसे कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल फोन। जब किसी व्यक्ति के पास कोई भी एक इलैक्ट्रॉनिक डिवाइस और इंटरनेट कनेक्शन होता है तो वह कोई भी ऑनलाइन कार्य कर सकता है जैसे कि बिजनेस, टीचिंग, शापिंग, रिजल्ट इत्यादि। इसी तरह ऑनलाइन कक्षा भी होती हैं।

कोरोना व शिक्षा : लॉकडाउन (कोविड-19) ने जिस चीज को सर्वाधिक प्रभावित किया वह है शिक्षा। प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक सारे संस्थान तत्काल बंद कर दिए गए थे, ताकि शारीरिक दूरी बनी रहे और कोरोना की महामारी से बचाव हो सके। आज की शिक्षा अभिभावकों की प्राथमिकताओं के केन्द्र में हैं। इसलिए पठन-पाठन का अचानक परिदृश्य से गायब हो जाना गहरी चिन्ता का विषय बन गया था। इस समय उम्मीद की किरण के रुप में ऑनलाइन शिक्षा सामने आई। पहले कुछेक फिर तमाम संस्थानों ने इंटरनेट की सहायता से छात्रों को उनके घर में शिक्षा देना शुरु कर दिया। लेकिन अब ऑनलाइन कक्षा में भी पढ़ाई अच्छी तरह से कराई जा रही है।

आपसी तालमेल : ऑनलाइन शिक्षा से ग्रामीण क्षेत्र में सरकारी स्तर पर संचालित माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षा को गतिशील बनाए रखने के लिए शिक्षकों ने इस पद्धति को अपनाया। गांव के छात्रों के पास लैपटॉप नहीं हैं , कम ही छात्रों के अभिभावकों के पास एंड्रायड हैण्डसेट हैं , हाईस्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी की उपलब्धता भी कमजोर है फिर भी आपसी तालमेल के साथ बच्चों ने इस स्थिति से जुड़कर जैसे प्रतिबद्धता दिखाई वह अदभुत है।

डिजीटल माध्यम : शिक्षक और छात्र दोनों के लिए यह डिजिटल माध्यम संभावनाओं से भरा है इसमें अध्यापक को छात्रों के सामने आने से पूर्व तैयार होना पड़ता है और पूरी तैयारी के साथ जब शिक्षक पढ़ाता है तो शिक्षण प्रणाली और गुणवत्ता पूर्ण होता है। यह शिक्षाशास्त्र का सर्वमान्य सिद्धान्त है। ऑनलाइन होने की स्थिति में अध्यापक के मैत्रीपूर्ण संयत और अनुशासित रहना पड़ता है छात्र भी स्क्रीन के सामने अधिक ध्यानमग्न और अपने विषय पर केन्द्रित रहता है। ऑनलाइन कक्षाओं में शिक्षणोत्तर और पाठ्य सहगामी क्रिया-कलापों का बहुत कुछ अभाव होता है फिर भी ऑनलाइन इस संकटकालीन परिस्थितियों में खूब असरदार हुई इसमें दो राय नहीं हो सकती।

त्रुटियों का सुधार : इससे पहले प्रतियोगी परीक्षा शोध विशेषज्ञता, विश्वविद्यालय शिक्षा के स्तर पर सामग्री के गुगल यूट्यूब, ई-पोर्टल और विभिन्न एप्स पर तो बहुत कुछ था किन्तु इस बार कोविड-19 लॉकडाउन के दिनों में माध्यमिक व प्राथमिक शिक्षा के तहत वाट्सप ग्रुप बनाकर जिस तरह नियमित पाठ्य सामग्री भेजी गई अध्यापक ऑनलाइन रहकर छात्रों की समस्याओं के समाधान के प्रति तत्पर दिखे। परीक्षण के प्रश्नों का मूल्यांकन हुआ, त्रुटियों का सुधार कराया गया, प्रोत्साहन के निमित अध्यापकों ने छात्रों को प्रेरक टिप्पणियां भेजी, यह सब अभूतपूर्व था। प्रतिदिन जिस उत्साह और उत्सुकता से बच्चे पाठ्य सामग्री की प्रतीक्षा करते थे उसमें भविष्य की शिक्षा को रोचक गुणवत्तापूर्ण और सरस बनाने के गहरे संकेत भी छिपे हैं। सम्भव है भविष्य में शिक्षा नीति इससे सबक ले।

ऑनलाइन अध्यापन : बच्चों को गर्मियों की छुट्टी का होमवर्क भी एक निश्चित समय सारणी के साथ ऑनलाइन ही वितरित हुआ है और बच्चे इसे रुचि के साथ कर भी रहे हैं। इस शिक्षा पद्धति से यह भी साबित हुआ कि तकनीक को नए संदर्भों से जोड़कर किस तरह आकस्मिक समस्याओं से निपटा जा सकता है। शिक्षक के लिए यह ऑनलाइन वाली शिक्षा एक नया अनुभव था जो सर्जनात्मक प्रेरणा का स्रोत बनकर उनके कार्य को सरस बना गई। भविष्य में आने वाली कठिनाई व समस्याओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा नीति व सरकार को ऑनलाइन अध्यापन को सही करने हेतु अभी से मुख्य कारणों पर विचार विमर्श करके इसे और सुगम बनाने हेतु उच्चस्तरीय कमेटी का गठन करवाना चाहिए, जिससे शिक्षा किसी भी तरह से प्रभावित न हो। आने वाली युवा पीढ़ी शिक्षा के क्षेत्र में इसी तरह से आगे बढ़ती रहे।

आजकल के ऑनलाइन समय में इस अध्यापन पद्धति को काफी अपनाया जा रहा है क्योंकि इसके काफी फायदे हैं इसका इस्तेमाल करके हम दुनिया में किसी भी जगह से बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटी और कालेज के प्रोफेसर से ऑनलाइन कक्षा ले सकते है और इसकी खास बात यह है कि इसमें न केवल बच्चे अध्यापक की बात सुनते है बल्कि बच्चे भी अध्यापक से प्रश्न पूछ सकते हैं।

ऑनलाइन शिक्षा के फायदे: ऑनलाइन पाठ्यक्रम सुविधाजनक है। बच्चे पूरे समय अपने परिवार के सामने रहते हैं और सुरक्षा की दृष्टि से भी यह फायदेमंद है। ऑनलाइन पाठ्यक्रम आपके घर में शिक्षा का अधिकार लाता है। बच्चों को पढ़ाई में क्या समस्या आती है, यह बात भी माता-पिता को पता चलती है। ऑनलाइन पाठ्यक्रम की सुविधा व्यक्तिगत ध्यान अधिक प्रदान करते हैं, जीवनभर सीखने को बढ़ावा देता है। साथ ही साथ, आपको दिलचस्प लोगों से मिलने में मदद करता है। बच्चों को कोचिंग के लिए नहीं जाना पड़ता है और वित्तीय लाभ व समय की बचत होती है। ऑनलाइन पाठ्यक्रम आत्म अनुशासित होना सिखाता है तथा आपको वैश्विक गॉव से जोड़ते हैं व वास्तविक विश्व कौशल प्रदान करते हैं।

ऑनलाइन कक्षाएं आमतौर पर स्व-पुस्तक होती हैं, जिससे कोर्स वर्क पूरा करने में अधिक लचीलेपान की अनुमति मिलती है। साथ ही साथ साथी छात्रों और उनके पाठ्यक्रम प्रशिक्षक के साथ संवाद कर सकते हैं।

ऑनलाइन शिक्षा की हानियां : इसकी हानियों की बात की जाए तो बच्चों को कक्षा जैसा वातावरण नहीं मिल पा रहा है और बच्चों के हाथों में मोबाइल होने से वो इसका गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जैसे गेम खेलना, ऑनलाइन से अन्य ऐसी जानकारियों को जानना, जिसकी अभी उनको आवश्यकता नहीं है, इसलिए माता-पिता व अभिभावकों को चाहिए कि समय-समय पर मोबाइल को चैक करते रहें। मोबाइल लैपटॉप व टैबलेट का ज्यादा उपयोग बढ़ गया है, जिससे स्क्रीन टाइम बढ़ने से ऑखों पर इसका बुरा असर पड़ने का खतरा है। ऑनलाइन कक्षाओं के बीच ही नेटवर्क संबंधी समस्याओं से बच्चे को परेशानी होती है जिसके कारण उन्हें मानसिक समस्या से गुजरना पड़ सकता है। लम्बे समय पर मोबाइल का इस्तेमाल करने से कई बार मोबाइल गर्म हो जाते हैं ऐसे में दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। साथ ही ऑनलाइन कक्षा से विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के प्रैक्टिकल नहीं हो पा रहे हैं।

निष्कर्ष : हर चीज के दो पहलू होते हैं जिसमें दोनों प्रकार (लाभ-हानि) के प्रश्न आते हैं। तकनीकी व डिजिटल की इस दुनिया में जितनी भी आरामदायक चीजों का मानव उपयोग करता है थोड़ी सी असावधानी बरतने पर उतना ही नुकसान देय होती है। अतः समय के अनुसार चाहे वह विद्यार्थी हो, बिजनेसमैन, नौकरीपेशा या अन्य, सभी को दोनों तरह की समस्याओं से जूझना पड़ता है। इस कोविड-19 लॉकडाउन में हर इंसान ने कुछ खोया और कुछ सिखा भी है। इसलिए हमें समय के अनुरुप चलने में ही भलाई है। यहीं प्रकृति का नियम है। ऑनलाइन कक्षाओं में भी बच्चों को शारीरिक व मानसिक स्थिति के स्तर पर भी दोनों तरह के लाभ व हानि हैं। चूंकि शिक्षा का मानव एवं समाज के विकास में बहुत बड़ा योगदान है। इसी कारण हमें इसकी खामियों को नजर अंदाज करते हुए शिक्षा के इस नए रुप को समय के अनुकूल होने के कारण अपनाना ही सही होगा।

1. हम सबका एक ही प्रयास
   सब ओर हो शिक्षा का प्रकाश ।।
2. लड़का लड़की एक समान
   सबको शिक्षा सबको ज्ञान ।।
3. शिक्षा ऐसी सीढ़ी है
   जिससे चलती पीढ़ी है ।।
4. स्वस्थ जीवन और संतुलित आहार
   शिक्षा ही है सुख का आधार ।।
5. लड़कियों को पढ़ाना है
   देश के विकास में भागीदार बनाना है ।।

∞

कर्मचारियों का पन्ना

वाह वाह भारत सरकार,
एक और कर दे उपकार।
देश को स्वस्थ बनाने को,
एक और बना दे आई.सी.एम.आर.।।

कोरोना ने था पाँव पसारा,
घिर गया विश्व फिर सारा।
ऐसे कठिन समय में देखों,
विश्व गुरु बना आई.सी.एम.आर.।।

पहले दिशा-निर्देश बनाए,
बचने के कई राह दिखाए।
जाँच, दवा बना नित प्रगति करता,
अपना प्यारा आई.सी.एम.आर.।।

सर्वेक्षण हो या हो प्रयोगशाला,
निदेशकों ने हर प्रयास डाला,
देश की मंगल कामना को,
लड़ा प्रतिपल आई.सी.एम.आर.।।

जब विपदा हो गई थी भारी,
बोले कर्मचारी और अधिकारी।
नि:स्वार्थ होकर हर काम करेंगे,
यह विचार रखे आई.सी.एम.आर.।।

शनि, रवि का अवकाश नहीं है,
थकने का प्रयास नहीं है।
राष्ट्र परम है, राष्ट्र सर्वोपरि,
जीवन हमारा आई.सी.एम.आर.।।

नव-चेतना, और नव-निर्माण,
नव-राज्य, नव-भारत महान।
चरक, सुश्रुत की वाणी को,
साकार करेगा आई.सी.एम.आर.।।

प्रभु, सुन मेरी अर्ज़ पुकार,
आज मांगू यह मंगलाचार।
जब तक आरोग्य नहीं हर कोई,
शारदा पड़े न कभी बीमार।।
वाह वाह भारत सरकार.....
एक और बना दे आई.सी.एम.आर।

श्री अखिलेश्वर शारदा
तकनीकी अधिकारी-बी

भारत मां की बिंदी हिन्दी विश्व पटल पर छा जाए।
सकुचा कर नहीं, गर्व से होंठों पर हिन्दी हर बार आए।

राजभाषा हिन्दी को प्रचार-प्रसार से उचित दर्जा दिलवाएं
घबराएं ना, मेहनत एवं उत्साह से इसका मान बढ़ाए,

सहज सरल हिन्दी का प्रयोग करें, जो सबको समझ आए
भाषाएं अनेक, राजभाषा एक का संदेश चहु ओर फैलाएं।

कठिन क्लिष्ट शब्दों के प्रयोग से हिन्दी को उबाऊ ना बनाए।
बाधाओं को पार कर, हिन्दी प्रयोग को आगे बढाते जाए।

श्री शान्ति कुमार तिवारी
अवर श्रेणी लिपिक

भ्रष्टाचार :- कुटिलता की महा-मात्रा

श्री राकेश जोशी (अवर श्रेणी लिपिक)

(अथ श्री कथा है कुटिल, अनैतिक, छल, प्रपंच, स्वार्थ की। ये कथा है भ्रष्टाचार की।)
बड़े लंबे समय से स्वर्ग में बैठे अर्जुन को पृथ्वी में घूमने की इच्छा थी। अब देखो जी स्वर्ग के नियम-कानून तो बड़े लंबे ही है। वहाँ एल.टी.सी. 100 साल में एक बार मिलती है। टी.आर.ए. नहीं मिलता, एच.आर.ए. और डी.ए. नाम की कोई चीज वहाँ है ही नहीं। अर्जुन 100 वर्ष की अवधि पूर्ण होते ही एल.टी.सी लेकर वासुदेव की शरण में गए। पहले नागलोक, पाताललोक, नर्कलोक, ह्मालोक, लाश, नन्दनवन आदि तो पिछली सभी एल.टी.सी में परिवार सहित घूम चुके हैं। अबकी बार स्वयं श्री कृष्ण उन्हें अपने साथ पृथ्वी के भ्रमण के लिए संग लेकर चल दिए। भला उनसे बेहतर गाइड कौन हो सकता है अर्जुन का। पूरी दुनिया के भ्रमण करने के उपरांत वो भारत यानि अपनी कर्म भूमि की ओर प्रस्थान करते है और वो दोनों भारत में सभी जगह का भ्रमण करते है। अब अर्जुन अपने मन में उपजी तमाम दुविधाओं को श्रीकृष्ण के समक्ष प्रकट करते हैं।

अर्जुनः माधव, वो सरकारी बाबू को देख रहे हो। कैसे जानबूझकर घर से सुबह के 10 बजे निकल रहा है। और वो 18 वर्षीय नौजवान (ड्रूड टाइप) कैसे अपनी माता को बेवकूफ बनाकर लाए 1700 रूपये से क्लास बंक कर मटर-गस्ती करने जा रहा है। इधर देखों बाजू वाली विमला ताई कैसे सब्जी वाले की आँख में धूल झोक कर नींबू चुरा रही है। और वो बेकरी वाला देखो जिसने कैसे हमें ठगा। कैसे हो गए ये सब मानव। माधव, ये ऐसा कैसे कर रहें हैं। किस वजह से कर रहे हैं। मैं बड़ा विचलित हूँ। मुझे शीघ्र बताओ, ये कौन से रोग से ग्रसित है।

श्रीकृष्णः पार्थ, विचलित न हो। तुम बिलकुल सही देख रहे हो। तुम्हारे मन में जो ये दुविधा पनपी है। उसका एक मात्र कारण ये है कि तुम पिछले कुछ समय से स्वर्ग में विराजमान हो। यह रोग बड़ा गंभीर रोग है वत्स। इस रोग से आज भारत भूमि के अधिकतर मानव ग्रसित है पार्थ। यह रोग है 'भ्रष्टाचार'। भ्रष्टाचारः- कुटिलता की महा-मात्रा। वही कुटिलता जिसका सभी कौरवों ने अनुग्रहण किया था।

अर्जुनः माधव, आप तो जगत पालनकर्ता है, अन्तर्यामी है तो फिर कृप्या बताएँ भ्रष्टाचार कहाँ तक फैल चुका है मेरी कर्मभूमि में?

श्रीकृष्णः भारत में कुटिलता में तेजी आनी स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत से हुई है और आज तो भारत में हर तरफ भ्रष्टाचार है- चाहे राजनीति हो, नौकरशाही हो, न्यायपालिका हो, प्रशासन हो, आर्थिक क्षेत्र हो, सिनेमा हो, व्यापार हो, उद्योग हो, कला हो, साहित्य हो या विज्ञान हो। अब भारत में भ्रष्टाचार मूर्त और अमूर्त दोनों ही रूपों में मौजूद है। आज त्याग, परोपकार, लोकहित, समाजसेवा, जनकल्याण तथा देशभक्ति के नाम को छोड़कर आत्महित, जातिहित, परिवारहित आदि शर्तों पर मानव जीवनयापन कर रहे हैं। स्वतंत्रता के दिनों कई नेक मानवों ने मिलकर संविधान बनाया और जिसके द्वारा एक सुव्यवस्था चलाने की इच्छाशक्ति प्रकट की लेकिन तमाम कारणों से ये राष्ट्र भ्रष्टाचार के जाल में फंसता चला गया।

अर्जुनः माधव, एक बात बताओं की वो कौन से कारण हो सकते हैं जिनके कारण यहाँ के मानव इस पथ पर चलें।

श्रीकृष्णः मानव सदा से स्वार्थी माना गया है लेकिन वह धर्म का मार्ग अपनाकर सर्वहित के कार्य कर, अनुशासन का पालन करते हुए अपने कर्म को जब-जब करता है तो वह अपना और अपने समाज व राष्ट्र के कल्याण का द्वार रचता है। लेकिन आज मानव जन्म के उपरांत से ही स्वार्थी, लोभी, लालची व अनैतिक होते जा रहा है। जिसके ये निम्न तमाम कारण हैः-

1 ऐशो-आराम से जीने की लत

2 झूठी शान-शौकत पाने के लिए

3 धन-दौलत को सर्वोपरि मानने से ।

4 धर्म को ठुकरा कर अनैतिक मानसिकता के साथ जीने से

5 बगैर परिश्रम कर धन कमाने के मार्ग पर जाने से

6 राष्ट्र के प्रति कर्तव्यनिष्ठ न होने पर

7 मानवता के प्रति दुर्व्यवहार करने से

8 व्यक्तिगत स्वार्थो की पूर्ति हेतु

इन्हीं कारणों से समाज में भ्रष्टाचार पनपता जा रहा है और इस मानवीय मानसिकता का निरंतर स्वार्थी, लोभी बनते जाना भी इसकी वजह है। आज समाज में भ्रष्टाचार ने बड़े-बड़े रिकार्ड बनाये है। जैसे बोफोर्स घोटाला ,हर्षद मेहता कांड, केतन पारिख कांड, हवाला घोटाला, चारा घोटाला, तेलगी घोटाला, सत्यम घोटाला ओर २जी स्पैक्ट्रम घोटाला आदि। आज चारों तरफ लिन्चिंग, दुराचार, व्यभिचार, बलात्कार, अनाचार, हिंसा, शोषण आदि फैली सभी बुरी चीजें भ्रष्टाचार के ही रूप हैं। ये सभी भ्रष्ट मानसिकता के प्रतीक है।

अर्जुनः प्रभु फिर इस भ्रष्टाचार का असल जिम्मेदार कौन है मानव या ये व्यवस्था?

श्रीकृष्णः भले ही हम सब देखते है कि ज्यादातर लोग भ्रष्टाचार का शिकार व्यवस्था के कारण है लेकिन यह असल में मानव द्वारा ही उपजा है। मानव को अपने नैतिक मूल्यो, नियमो, कानूनो का अनुशासित होकर पालन करना चाहिए। मानव से अपेक्षा होती है कि वह अपने आचरण-व्यवहार को नियंत्रित और संतुलित रखे और अनुशासित जीवनयापन करे लेकिन इसके विपरीत कुछ भी करने से मनुष्य भ्रष्ट होने लगता है और उसके आचरण और व्यवहार को सामान्य अर्थो में भ्रष्टाचार कहा जाता है। जब व्यक्ति भ्रष्ट आचरण और व्यवहार पर चलकर समाज की नैतिकता तोड देता है तब यह भ्रष्टाचार समाज और देश को खोखला बना डालता है ।

तदुपरांत सूर्य निकलने वाला होता है और एल.टी.सी. की समय सीमा पूर्ण होने को आती है और श्रीकृष्ण व अर्जुन स्वर्ग की ओर प्रस्थान करना शुरू कर देते है।

संस्थान की गतिविधियां

संस्थान में हिन्दी पखवाड़ा

राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष की भाँति इस वर्ष भी संस्थान में हिंदी पखवाड़ा पूर्ण उत्साह के साथ मनाया गया। इस उपलक्ष्य में विभिन्न प्रतियोगिताओं एवं गतिविधियों का आयोजन किया गया। हिंदी पखवाड़े के अवसर पर हस्ताक्षर दिवस, निबंध प्रतियोगिता (अधिकारियों एवं कर्मचारियों हेतु पृथक-पृथक), हिन्दी कार्यशाला (वैज्ञानिक एवं तकनीकी वर्ग और प्रशासनिक वर्ग में कार्य करने वाले सभी कर्मचारियों के लिए पृथक-पृथक), टिप्पण-प्रारूपण प्रतियोगिता एवं निबंध प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। संबंधित प्रतियोगिताओं का आयोजन संस्थान के निदेशक डॉ. अमित प्रकाश शर्मा के निर्देशन में संस्थान की सहायक निदेशक (रा.भा.) एवं राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सदस्यों के सहयोग से किया गया।

हिंदी पखवाड़े की प्रथम गतिविधि हस्ताक्षर दिवस का आयोजन दिनांक 01 सितम्बर 2021 को किया गया। इसके अंतर्गत संस्थान में सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को सरकारी कामकाज में हस्ताक्षर अनिवार्य रुप से हिन्दी में करने का निर्देश दिया गया। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए कोविड-19 एवं स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए दिनांक 3 सितम्बर 2021 को पूर्वाह्न 11 बजे से 12 बजे तक संस्थान के सभी वैज्ञानिकों एवं तकनीकी वर्ग के कर्मचारियों के लिए एक आभासी हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसका विषय विज्ञान एवं तकनीकी क्षेत्र में राजभाषा हिन्दी की दशा एवं दिशा था, जिसमें व्याख्याता के रुप में डॉ. कुमार पाल शर्मा, उपनिदेशक (कार्यान्वयन), गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, भारत सरकार, दिल्ली को आमंत्रित किया गया था। संबंधित कार्यशाला का संचालन श्री योगेश कुमार, प्रशासन अधिकारी ने किया। श्री योगेश कुमार द्वारा अतिथि व्याख्याता का परिचय देते हुए उन्हें व्याख्यान हेतु आमंत्रित किया। डॉ. कुमार पाल शर्मा जी ने विज्ञान एवं तकनीकी क्षेत्र में राजभाषा हिन्दी की दशा एवं दिशा विषय पर विस्तार से जानकारी प्रदान की। उन्होंने हिन्दी के ऐतिहासिक महत्व को उजागर करते हुए विज्ञान एवं तकनीकी क्षेत्र में हिन्दी की दशा पर प्रकाश डालते हुए वैज्ञानिक एवं तकनीकी वर्ग को किस प्रकार राजभाषा हिन्दी के साथ अपने अनुसंधान प्रयोग को आगे बढ़ाने की दिशा पर अत्यन्त रोचकपूर्ण ढंग से प्रकाश डाला।

वैज्ञानिक एवं तकनीकी वर्ग को आभासी व्याख्यान देते हुए डॉ. कुमार पाल शर्मा, उपनिदेशक (कार्यान्वयन), गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग

संबंधित पखवाड़े की अगली गतिविधि के अंतर्गत दिनांक 13 सितम्बर 2021 को पूर्वाह्न 11 बजे से

संस्थान के प्रशासनिक कार्य करने वाले सभी कर्मचारियों के लिए टिप्पण-प्रारुपण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसका संचालन अनुभाग अधिकारी, श्रीमती वंदना कालिया द्वारा किया गया, जिसमें 11 कर्मचारियों ने भाग लिया।

टिप्पण-प्रारुपण प्रतियोगिता में भाग लेते हुए कर्मचारी

इसी क्रम में, दिनांक 14 सितम्बर 2021 को पूर्वाह्न 10 बजे संस्थान के निदेशक महोदय द्वारा हिन्दी दिवस के उपलक्ष में संस्थान एवं संस्थान की क्षेत्रीय इकाईयों में कार्यरत सभी वैज्ञानिको/ अधिकारियों/कर्मचारियों को आभासी माध्यम से संबोधित किया गया और सभी को अपना सरकारी कामकाज राजभाषा हिन्दी में करने के लिए प्रेरित किया।

टिप्पण-प्रारुपण प्रतियोगिता का संचालन करते हुए श्रीमती वंदना कालिया, अनुभाग अधिकारी एवं डॉ. वंदना शर्मा, सहायक निदेशक (रा.भा.)

इसके पश्चात् निदेशक महोदय द्वारा संस्थान एवं क्षेत्रीय इकाईयों के सभी अधिकारियों, वैज्ञानिकों एवं कर्मचारियों को गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा प्रेषित राजभाषा प्रतिज्ञा आभासी रुप में दिलवाई गई।

तत्पश्चात्, दिनांक 14 सितम्बर 2021 को ही संस्थान के वैज्ञानिकों एवं अधिकारियों के लिए निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका संचालन संस्थान की डॉ. श्वेता पासी, वैज्ञानिक-बी द्वारा किया गया। संबंधित प्रतियोगिता में 11 अधिकारियों ने भाग लिया। निबंध प्रतियोगिता का विषय कोरोना महामारी के प्रभावों का आलोचनात्मक मूल्यांकन था।

हिन्दी दिवस 14 सितम्बर के उपलक्ष में संबोधित करते हुए संस्थान के निदेशक महोदय

हिन्दी पखवाड़े की अगली गतिविधि दिनांक 15 सितम्बर 2021 को पूर्वाह्न 11 बजे प्रशासन वर्ग में कार्य करने वाले सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए हिन्दी कार्यशाला (आभासी) का आयोजन किया गया जिसमें व्याख्याता के

गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा जारी राजभाषा प्रतिज्ञा लेते हुए निदेशक महोदय एवं वरिष्ठ वैज्ञानिकगण

रुप में श्री दिलीप निगम, उपनिदेशक (राजभाषा), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार को आमंत्रित किया गया था। संबंधित कार्यशाला का विषय 'राजभाषा हिन्दी के प्रचार एवं प्रसार की व्यावहारिक समस्याएं' था। कार्यशाला का संचालन संस्थान के प्रशासनिक अधिकारी श्री योगेश कुमार द्वारा किया गया। प्रशासन अधिकारी द्वारा अतिथि व्याख्याता का परिचय देने के पश्चात् उन्हें व्याख्यान हेतु आमंत्रित किया और श्री निगम द्वारा हिन्दी के प्रचार एवं प्रसार में आने वाली समस्याओं के संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए उनके निराकरण पर जोर दिया।

तत्पश्चात् दिनांक 15 सितम्बर 2021, अपराह्न में, संस्थान के सभी कर्मचारियों के लिए निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसका संचालन डॉ. श्वेता पासी वैज्ञानिक-बी द्वारा किया गया। इस प्रतियोगिता का विषय 'ऑन लाइन कक्षाओं का बच्चों की शारिरिक एवं मानसिक स्थिति पर प्रभाव : एक ऑकलन' था। संबंधित प्रतियोगिता में 19 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

संस्थान द्वारा कोविड-19 के दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन न करके औपचारिक रुप से प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले विजयी उम्मीदवारों की घोषणा की गई, जिसमें टिप्पण-प्रारुपण प्रतियोगिता का प्रथम पुरस्कार श्री दीपक कुमार, द्वितीय पुरस्कार श्री शान्ति कुमार तिवारी, तृतीय पुरस्कार श्री रमेश जंडवानी एवं प्रोत्साहन पुरस्कार श्री वंशीधर और श्री मोहन सिंह बिष्ट को प्रदान किया गया। निबंध प्रतियोगिता (अधिकारी वर्ग) में प्रथम पुरस्कार डॉ. अभिनव सिन्हा, द्वितीय पुरस्कार श्री राम

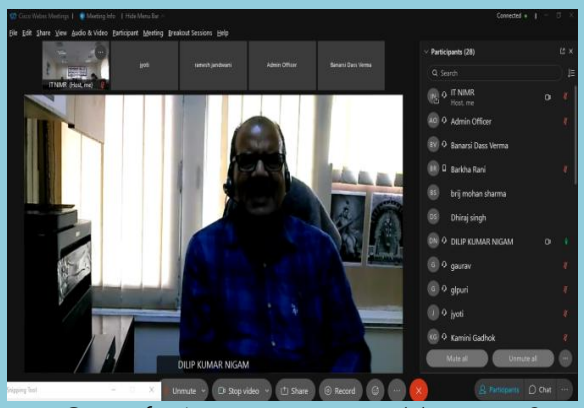

प्रशासनिक वर्ग को आभासी व्याख्यान देते हुए श्री दिलीप निगम, उपनिदेशक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

सिंह तोमर, तृतीय पुरस्कार श्री प्रदीप कुमार और प्रोत्साहन पुरस्कार मौ. राशिद परवेज एवं श्रीमती वंदना कालिया को प्रदान किया गया। निबंध प्रतियोगिता (कर्मचारी वर्ग) में प्रथम पुरस्कार श्री शिशुपाल सिंह नेगी, द्वितीय पुरस्कार श्री जितेन्द्र परिहार, तृतीय पुरस्कार डॉ. बेणुधर मुखी और प्रोत्साहन पुरस्कार श्री सुबोध कुमार त्यागी एवं श्री शिवदर्शन सिंह रावत को प्रदान किया गया।

इसके साथ ही, संस्थान में लागू तीन प्रोत्साहन योजनाओं के पुरस्कारों में राजभाषा विभाग की प्रोत्साहन योजना वर्ष 2020-21 के दौरान किए गए कार्य के अनुसार श्री बृजमोहन शर्मा, श्री सुबोध कुमार त्यागी को प्रथम पुरस्कार श्री प्रवीण कुमार, श्री पवन कुमार मीणा, श्री वंशीधर को द्वितीय पुरस्कार एवं श्री रजनीश कटारा, श्री पुनीत सैनी, श्री धीरज सिंह रावत, श्री प्रताप कुमार मंडल और श्री प्रकाश नारायण को तृतीय पुरस्कार प्रदान किया गया। संस्थान द्वारा लागू प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत श्री मोहन सिंह बिष्ट, श्रीमती तारा मोनिका टिग्गा को प्रथम पुरस्कार श्री अजय मित्रा, श्री सुशील कुमार माथुर, श्री सुभाष चन्द वर्मा को द्वितीय तथा श्री नरेन्द्र सिंह, श्री अबरार अली, श्री रोहित, श्री

शिवदर्शन सिंह रावत तथा श्री रमाकांत को तृतीय पुरस्कार प्रदान किया गया। अंत में, प्रोत्साहन योजना (तकनीकी वर्ग) में श्री राम सिंह तोमर को प्रथम और डॉ. हरिशंकर पाण्डेय को द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया। इसके साथ ही, राजभाषा विभाग की प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत हिन्दी में अधिकाधिक डिक्टेशन देने वाले अधिकारी का पुरस्कार श्री योगेश कुमार को प्रदान किया गया और इस प्रकार संस्थान के सभी वैज्ञानिकों/अधिकारियों/कर्मचारियों के सहयोग से हिन्दी दिवस की सभी गतिविधियों का समापन सफलतापूर्वक किया गया।

क्षेत्रीय इकाईयों में हिन्दी दिवस का आयोजन

संस्थान मुख्यालय ही नहीं वरन् संस्थान की 5 क्षेत्रीय इकाईयों में भी निर्देशानुसार हिन्दी दिवस पूर्ण हर्षोल्लास के साथ मनाया गया और कर्मचारियों को अपना सरकारी कामकाज राजभाषा में करने हेतु प्रोत्साहित किया गया। क्षेत्रीय इकाईयों में प्रतियोगिताओं के माध्यम से कर्मचारियों में राजभाषा हिन्दी में कार्य करने की झिझक को समाप्त करने के प्रयास की दिशा में कदम उठाया गया। इसी क्रम में बंगलुरु (कर्नाटक), गुवाहाटी (असम), रांची (झारखंड), रायपुर (छत्तीसगढ़) एवं नादियाड (गुजरात) क्षेत्रीय इकाईयों में हिन्दी दिवस का आयोजन किया गया।

बंगलुरु (कर्नाटक)

हिन्दी दिवस के अवसर पर क्षेत्रीय इकाई बंगलुरु (कर्नाटक) में दिनांक 17 सितम्बर 2021 को निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें मुख्य अतिथि के रुप में डॉ. शुभांगी पिंगले वैज्ञानिक-डी क्षेत्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य केन्द्र (द.) बंगलुरु को आमंत्रित किया गया था। निंबंध प्रतियोगिता का विषय – मेरे सपनों का एनआईएमआर या हेलीकॉप्टर पैरेंटिंग या कोरोना में हमारा योगदान या नई शिक्षा नीति या अनुसंधान का महत्व था। मुख्य अतिथि द्वारा संबंधित का मूल्यांकन कर संध्या एम पी को प्रथम, दिव्या श्री आर को द्वितीय, वैशाली वरकड़े को तृतीय और राजेन्द्र प्रसाद तिवारी एवं अनुषा एम को प्रोत्साहन पुरस्कार हेतु नामित किया गया। हिन्दी दिवस का समापन प्रभारी अधिकारी डॉ. वीणा एच सी, वैज्ञानिक-डी द्वारा मुख्य अतिथि को धन्यवाद के साथ संपन्न हुआ।

गुवाहाटी (असम)

हिन्दी दिवस के अवसर पर क्षेत्रीय इकाई गुवाहाटी (असम) में दिनांक 24 सितम्बर 2021 को मनाया गया। इस अवसर पर क्षेत्रीय इकाई में निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। संबंधित प्रतियोगिता में सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने हर्षोल्लास के साथ भाग लिया। मुख्य अतिथि के रुप में डॉ. अंजना सिंघा प्राध्यापक, कॉटन विश्वविद्यालय, गुवाहाटी (असम) को आमंत्रित किया गया। संबंधित प्रतियोगिता में श्रीमती अर्चना गुप्ता को प्रथम, श्रीमती मैना बोरो को द्वितीय, श्री दिवाकर मेढ़ी को तृतीय और श्री बाबुल रहंग और श्री कानू राम दास को प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान किया गया। अंत में प्रभारी अधिकारी डॉ. कुलदीप सिंह द्वारा मुख्य अतिथि को धन्यवाद के साथ समारोह का समापन किया गया।

रांची (झारखंड)

हिन्दी दिवस के अवसर पर क्षेत्रीय इकाई रांची में दिनांक 14 सितम्बर 2021 को हिन्दी दिवस मनाया गया। इस अवसर पर हिन्दी निबंध

लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसका विषय – कोरोना महामारी की रोकथाम में सार्वजनिक व्यवहार की भूमिका था। श्री उपेंद्र सत्यार्थी, सहायक प्रोफेसर, हिन्दी विभाग, झारखंड केन्द्रीय विश्वविद्यालय को मुख्य अतिथि के रुप में आमंत्रित किया गया। श्री सत्यार्थी द्वारा कर्मचारियों को हिन्दी के दायरे में विकास और लोकप्रियता के बारे में अंतदृष्टि प्रदान की और हिन्दी के महत्व को भाषा के रुप में दिखाने के लिए अनेक घटनाओं का वर्णन किया। श्री सत्यार्थी द्वारा दक्षिण भारतीयों का उदाहरण देकर गैर-हिन्दी राज्यों के लोगो के बीच दूसरी भाषा के रुप में हिन्दी की बढ़ती लोकप्रियता पर भी प्रकाश डाला। इसके बाद निबंध प्रतियोगिताओं के पुरस्कारों की घोषणा की गई। उल्लेखित प्रतियोगिता में श्री विजय ओम गुप्ता प्रथम, सुश्री रीता कुमारी द्वितीय, श्री एन.के. शुक्ला तृतीय और श्री आर.के. पांडे एवं श्री हरमन मिंज को प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान किया गया। अंत में कार्यक्रम में उपस्थित सभी प्रतिभागियों और सदस्यों ने अपनी सभी आधिकारिक और गैर सरकारी कार्यों में हिन्दी भाषा का उपयोग करने के दृढ़ संकल्प के साथ ही राजभाषा प्रतिज्ञा ली। प्रभारी अधिकारी डॉ. पीयूष कुमार सिंह ने संक्षिप्त एवं सुंदर भाषण के साथ मुख्य अतिथि एवं सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को धन्यवाद के साथ समापन किया।

रायपुर (छत्तीसगढ़)

क्षेत्रीय इकाई रायपुर (छत्तीसगढ़) में हिन्दी दिवस के उपलक्ष में दिनांक 16 सितम्बर 2021 को हिन्दी दिवस मनाया गया। इस अवसर पर निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और सभी कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक संबंधित प्रतियोगिता में भाग लिया। निबंध प्रतियोगिता में श्री राजेश कुमार को प्रथम, श्री ओमकार शुक्ला को द्वितीय, श्री उदवीर सिंह को तृतीय और श्री दयाराम यादव तथा श्री फूल सिंह को प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान किया गया। अंत में प्रभारी अधिकारी द्वारा उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को धन्यवाद के साथ समारोह का समापन किया गया।

नडियाद (गुजरात)

राष्ट्रीय मलेरिया अनुसंधान संस्थान, क्षेत्रीय इकाई, नडियाद में दिनांक 11 अक्टूबर 2021 को हर्षोल्लास के साथ हिन्दी दिवस मनाया गया, जिसमें क्षेत्रीय इकाई के सभी कर्मचारियों एवं अधिकारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। संबंधित समारोह का संचालन श्री प्रतीक्षा जे. देसाई द्वारा किया गया। प्रभारी अधिकारी डॉ. राजेन्द्र कुमार बहारिया द्वारा अपने संबोधन में सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को हिन्दी में कार्य करने का आग्रह किया। इसके पश्चात् अपराह्न 3 बजे निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।निबंध प्रतियोगिता का विषय –संक्रामक रोग और समाज था। संबंधित प्रतियोगिता में श्री एस.के. शुक्ला को प्रथम, श्री आर.जी. पटेल को द्वितीय, कु. श्वेता चौधरी को तृतीय एवं श्री हेम्मींग्स क्रिश्चियन और श्री उदेश टी कोंडवीलकर को प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान किया गया।

संस्थान की गतिविधियां

सतर्कता जागरुकता सप्ताह

भारत सरकार द्वारा केन्द्र सरकार के सभी कार्यालयों में दिनांक 26 अक्टूबर से 1 नवम्बर 2021 तक सतर्कता जागरुकता सप्ताह मनाए जाने का आदेश दिया गया था, जिसका विषय 'स्वतंत्र भारत @ 75 – सत्य निष्ठा से आत्म-निर्भरता' था। इस संबंध में कोविड-19 के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए संस्थान में भी सतर्कता जागरुकता सप्ताह मनाए जाने के क्रम में प्लाजा हाल में दिनांक 26 अक्टूबर 2021 को पूर्वाह्न 11 बजे सतर्कता अधिकारी डॉ. रजनीकान्त दीक्षित द्वारा निदेशक महोदय की उपस्थिति में संस्थान के सभी वैज्ञानिकों/अधिकारियों/कर्मचारियों ने शपथ ग्रहण की।

संस्थान की गतिविधियां

संस्थान का वार्षिकोत्सव

किसी संस्थान प्रतिष्ठान एवं कार्यालय के लिए वार्षिक दिवस समारोह मनाना इस बात को इंगित करता है कि वह संस्थान प्रगति की राह पर अग्रसर है। इसी का साक्षात प्रमाण राष्ट्रीय मलेरिया अनुसंधान संस्थान द्वारा अपना 44वां वार्षिक दिवस समारोह दिनांक 8 नवम्बर 2021 को मनाया जाना है। इस बार कोविड-19 के दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए वार्षिक दिवस समारोह का आयोजन आभासी रुप से किया गया। संस्थान के लिए यह अत्यन्त गर्व की बात है कि वर्ष 1977 में बोए गए बीज ने आज एक विशाल वृक्ष का रुप धारण कर लिया है और इसकी शाखाएं देश के कोने-कोने में 8 क्षेत्रीय इकाइयों के रुप में फैली हुई है। वर्ष 1977 में शामनाथ मार्ग दिल्ली स्थित कार्यालय में मात्र कुछ अधिकारियों/ कर्मचारियों से आरंभ हुए मलेरिया अनुसंधान केन्द्र ने धीरे-धीरे अपने आप को एक व्यापक रुप में स्थापित किया जिसे आज आईसीएमआर-राष्ट्रीय मलेरिया अनुसंधान द्वारका नई दिल्ली के नाम से जाना जाता है। आज भारत में ही नहीं अपितु विश्व में इसे प्रतिष्ठापित करने में यहां के वैज्ञानिकों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मलेरिया नियंत्रण हेतु मौलिक व जन-उपयोगी अनुसंधानों द्वारा मलेरिया निदान एवं उपचार संबंधी उपायों एवं तरीकों की खोज करने में संस्थान का वैज्ञानिक समुदाय लगातार प्रयासरत है।

संस्थान के 44वें वार्षिक दिवस के उपलक्ष में दिनांक 8 नवम्बर 2021 को पूर्वाह्न 11 बजे कार्यक्रम का शुभारंभ संस्थान के निदेशक डॉ. अमित प्रकाश शर्मा द्वारा अतिथियों के स्वागत भाषण से हुआ।

निदेशक महोदय ने इस शुभ अवसर पर पधारे माननीय अतिथिगणों एवं महानुभावों और उपस्थित सभी वैज्ञानिकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों का हार्दिक स्वागत किया और संस्थान के विकास एवं प्रगति के विभिन्न पहलुओं से अवगत कराया। डॉ. शर्मा ने अपने संबोधन में बताया कि मलेरिया उन्मूलन हेतु प्रतिबद्धता में अनुसंधान का योगदान बहुमूल्य है। इसके साथ ही निदेशक महोदय ने आईसीएमआर-एनआईएमआर की भावी योजनाओं एवं नए लक्ष्यों पर भी प्रकाश डाला।

माननीय निदेशक महोदय के स्वागत भाषण के पश्चात् माननीय प्रो. (डॉ.) बलराम भार्गव, सचिव, स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग (डीएचआर) एवं महानिदेशक, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) ने सभी को संबोधित किया। उन्होंने अपने संबोधन भाषण में संस्थान की प्रगति एवं विकास पर हर्ष जाहिर किया। माननीय महानिदेशक के प्रेरणादायक संबोधन के पश्चात् प्रो. पार्थ पी. मजूमदार, अध्यक्ष, इण्डियन अकादमी ऑफ साईंसिंस, बंगलुरु द्वारा संबोधन एवं चर्चा की गई। चर्चा का विषय – Genes as a guide to human history and culture था।

तत्पश्चात् डॉ. मदन मोहन प्रधान, पूर्व संयुक्त निदेशक, एनवीवीडीसीपी ओडिशा द्वारा Intrinsic Challenges in Elimination of Malaria : Lessons from Odisha विषय पर परिचर्चा की गई। परिचर्चा के बाद डॉ. शिवलाल, पूर्व विशेष महानिदेशक (पीएच), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार एवं अध्यक्ष, विज्ञानीय सलाहकार समिति (सैक), आईसीएमआर-एनआईएमआर ने अपने विचार प्रस्तुत किए।

इस गतिविधि के पश्चात् कार्यक्रम की महत्वपूर्ण गतिविधि जिसमें डॉ. विनीता सिहं, वैज्ञानिक-ई द्वारा संस्थान में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों जिन्होंने संस्थान में सेवा के 25 वर्ष पूर्ण कर लिए थे, को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के अंत में डॉ. विनीता सिंह, वैज्ञानिक-ई द्वारा धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करते हुए उपस्थित माननीय मुख्य अतिथि एवं अतिथिगणों को धन्यवाद ज्ञापित किया।

इसी क्रम में दिनांक 8 नवम्बर 2021 को अपराह्न 2 बजे एक सांस्कृतिक रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें संस्थान के वैज्ञानिकों, अधिकारियों, कर्मचारियो, एवं छात्रों ने अत्यन्त उत्साहपूर्वक भाग लिया।

इसके अंतर्गत अनेक प्रकार की गतिविधियों का आयोजन किया गया, जैसे स्लो-साईक्लिंग, मलेरिया जैव विज्ञान स्कॉलरस हेतु पहेली प्रतियोगिता, रंगोली प्रतियोगिता आयोजित की गई। संस्थान के कई छात्रों एवं कर्मचारियों ने गायन, नृत्य, संगीत प्रस्तुतियों से अदभुत समा बांध दिया। इसी के साथ ही, कई कर्मचारियों/ छात्रों द्वारा काव्यपाठ, स्टेंडअप कामेडी आदि गतिविधियों में भाग लिया।

कार्यक्रम के सफल आयोजन पर संस्थान के निदेशक महोदय ने संस्थान के अधिकारियों/ कर्मचारियों एवं छात्रों को बधाई एवं शुभ-कामनाएं दी। अंत में प्रतियोगिताओं के विजेताओं एवं गतिविधियों में शामिल प्रतिभागियों के नाम की घोषणा कर उन्हें सम्मानित किया गया।

जुलाई-दिसम्बर 2021 के दौरान संस्थान के सेवा-निवृत्त वैज्ञानिक, अधिकारी एवं कर्मचारी

आईसीएमआर-राष्ट्रीय मलेरिया अनुसंधान संस्थान को जीवन-पर्यन्त अपनी सेवाएं प्रदान करने के बाद पूरे सम्मान के साथ सेवा-निवृत्ति प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को संस्थान परिवार की ओर से हार्दिक धन्यवाद देकर उऋण नहीं हो सकते वरन् अपनी मेहनत, निष्ठा से संस्थान को विकास एवं प्रगति की ओर अग्रसर करने में अपना अमूल्य योगदान प्रदान करने हेतु हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए उनके स्वस्थ रहने की शुभकामनाएं करते हैं। संस्थान से सेवा-निवृत्त होने वाले कर्मचारियों के नाम निम्न प्रकार हैं:-

क्र.सं.	वैज्ञानिक/अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पदनाम	सेवा-निवृत्ति की दिनांक
1	डॉ. ए.के. उपाध्याय	सहायक अनुसंधान वैज्ञानिक	31.07.2021
2	श्री शौकत अली	लैब अटेंडेंट-I	31.07.2021
3	श्री पीपी गोहिल	एफएलए	31.07.2021
	श्रीमती इन्द्रानी	लैब अटेंडेंट-I	31.07.2021
4	श्रीमती सुष्मिता बैनर्जी	तकनीशियन-बी	31.08.2021
5	श्री राम किशोर	प्रयोगशाला तकनीशियन-बी	31.08.2021
6	श्री सुभाष चन्द वर्मा	लैब अटेंडेंट-II	30.09.2021
7	श्री जी आर श्रीनिवासन	कीट संग्राहक	30.09.2021
8	श्री मनवीर सिंह	फील्ड वर्कर	30.09.2021
9	श्री ओंकार शुक्ल	एफएलए	30.09.2021
10	श्री मोहन चन्द्र	एफएलए	30.09.2021
11	श्री भानु आर्या	तकनीकी अधिकारी	31.10.2021
12	श्री राम करण तुषीर	तकनीशियन-सी	31.10.2021
13	श्री एम ए अहमद	कीट संग्राहक	31.10.2021
14	श्री चांद सिंह लोचन	प्रयोगशाला तकनीशियन	31.10.2021
15	श्री रमन शर्मा	अवर श्रेणी लिपिक	31.10.2021
16	श्री किशन गोपाल	प्रयोगशाला अटेंडेंट	31.10.2021
17	श्री वी के पाण्डेय	तकनीशियन	31.10.2021
18	श्री प्रवीण कुमार	फील्ड वर्कर	31.10.2021
19	श्रीमती बीना टी श्रीवास्तव	वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी	31.12.2021

जुलाई-दिसम्बर 2021 के दौरान संस्थान के नवनियुक्त वैज्ञानिक, अधिकारी एवं कर्मचारी

आईसीएमआर-राष्ट्रीय मलेरिया अनुसंधान संस्थान के विकास सोपानों के दौरान जहां कई अधिकारी/कर्मचारी सेवा-निवृत्त होते हुए इसकी बागडोर नव-नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को सौंपते गए। ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों के आगमन पर संस्थान परिवार उनका हार्दिक स्वागत करता है। हमें आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि संस्थान के निम्नलिखित वैज्ञानिक/अधिकारी/कर्मचारी अपने बौद्धिक ज्ञान, प्रतिभा, मेहनत एवं निष्ठा से संस्थान को उन्नति की ओर अग्रसर करने में अपना उल्लेखनीय योगदान प्रदान करेंगे।

क्र.सं.	वैज्ञानिक/अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पदनाम	संस्थान में कार्य ग्रहण करने की दिनांक
1	डॉ. अरविन्द नाथ	वैज्ञानिक-ई	01/07/2021
2	डॉ. पी.के. भारती	वैज्ञानिक-ई	08/09/2021
3	डॉ. वाणी एच.सी.	वैज्ञानिक-डी	19/07/2021
4	श्री दिनेश सोनी	प्रशासन अधिकारी	20/12/2021
5	श्री प्रदीप कुमार	लेखा अधिकारी	08/07/2021
6	श्री दीपक लाठर	प्रवर श्रेणी लिपिक	17/08/2021

∞

पत्र निजी हो या सरकारी, टिप्पण हो या प्रारुपण
आवेदन हो प्रतिवेदन, निबंध हो या भाषण
टंकण हो या आशुलेखन, या हो तार प्रेषण
सब कुछ हिन्दी में सरलता से और साधिकार हो सकता है।
हिन्दी में काम करना आसान है, शुरु तो कीजिए।